तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा.पत्र 212 RTA कमरूदीन बनाम जैकम 46/22	
22.9.22	आज पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 21.06.2022 को प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जैकम वगैरह को जरिये अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 21.07.2022 तक आ० ख० नं० 175/0.27 वाके ग्राम सेमला कला तह० नगर पर सायल के हिस्से की आराजी मे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें, आराजी के किसी हिस्सा विशेष का उल्लेख करते हुए अथवा किसी खसरा नंबर का पूर्ण उल्लेख करते हुए आराजी को रहन बय मुन्तकिल न करें, निर्माण कार्य न करें एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक सायल जायल हो। इसके पश्चात आगामी तारीख पेशीयों तक अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रवृत्त रही। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 की तामील होने बावजूद उप० नहीं। अत: उनके विरुद्ध दिनांक 25.08.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, एवं अप्रार्थी संख्या 03 कोई जवाब पेश करना नहीं चाहते है। तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना-पत्र पर [illegible] अधिवक्ता ने अपने कथन [illegible] गैरसायलान का ख० नं० सायल के ख० नं० से [illegible]ता हुआ है जो की जबरन लठ्ठ व ताकत के बल पर	

PT उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कारवाईन नाम जोकम प्रकरण 46/22

हमारी आराजी में से होकर पक्की दीवार को तोड़कर रास्ता बना लेंगे। और नहीं मानी तो आराजी से बेदखल कर देंगे। ऐसी सूरत में गैर सायलान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के निस्तारण तक संयुक्त किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन में कहा कि सायलान का खसरा नं० 175 है और गैरसायलान का ख० नं० 174 है एवं दोनों ख० नं० एक-दूसरे के सटवा है, जिनका राजस्व विभाग की एक नक्शा ट्रेस है, और जमीन को बढ़ाया अथवा घटाया जाना सम्भव नहीं है, तब उस स्थिति में सायलान को सीधे-सीधे आशंका को समाप्त कराने के लिए पैमाईश करा निशानदेही की आवश्यकता थी, जहाँ सीधा-सीधा प्रावधान मौजूद है वहां अनावश्यक वाद पत्र पेश करना न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र सायलान काबिल खारिज योग्य है।

पत्रावली का समग्र अध्ययन व उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी का ख० नं० लगता हुआ। प्रार्थी ने सीमाज्ञान हेतु आवेदन नहीं किया है यदि उसे आशंका है कि अप्रार्थी उसके खेत से जबरदस्ती दीवार तोड़कर रास्ता बनायेंगे तो वह [illegible] सीमाज्ञान [illegible] सकने के लिए [illegible] पत्थरगढ़ी करवा सीमाज्ञान [illegible] पर बिना [illegible] स्थिती का ज्ञान सम्भव नहीं है और इस कारण फरीकान को खेत की किस सीमा में बने रहने के लिए पाबन्द किया जावे, यह सम्भव नहीं है

— PTO —

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमरुद्दीन बनाम जेडएम प्र०/४२ 46/22	
	अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA काबिल खारिज योग्य है केवल आशंका के आधार प्रार्थना पत्र TI दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 21.06.2022 को जारी किये गये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को जारी रखा जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है तथा प्रार्थी के प्रा. पत्र 212 RTA को अस्वीकार करते हुए पूर्व दिनांक 21.06.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र प्रसाद) उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner